

**ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त 25 वर्ष के कठोर कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय) कोर्ट प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 07-05-2024 को मु0अ0सं0 231/21 धारा 377 भादवि व धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त बबलू तिवारी पुत्र गोपाल तिवारी निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹40,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

**आनलाइन ठगी गई रकम (190772रु) पुनः खाते में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा वापस कराया**

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री तथा क्षेत्राधिकारी अपराध श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन को लेकर कॉल आया जिसमें पीडित द्वारा स्क्रीन शेयर कर दिये जिससे ये साइबर फ्राड के शिकार हो गये। आनलाइन ठगी के शिकार पीडित अर्वेन्द्र पांडेय निवासी मयूर विहार कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद मऊ का कुल 190772 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

**निम्नलिखित सामान्य सी लग रही बातों का ध्यान ना देने के कारण साइबर फ्राड का शिकार हो रहे लोग**

1. लाटरी, लकी ड्रा, कैश बैंक, रिवार्ड प्वाइंट, सस्ते लोन, नौकरी लगवाना, मोबाइल टॉवर, शादी आदि के बारे में कोई भी कॉल, मैसेज या विज्ञापन पर भरोसा न करें और न ही किसी खाते या ई-वालेट में रूपया जमा करें।
2. ई-मेल के जरिए कोई भी व्यक्ति लाटरी या अपनी सम्पत्ति दान करने की बात करें तो उस पर भरोसा न करें।
3. OLX पर कुछ भी बेचने या खरीदने में सावधानी बरते। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। रूपये प्राप्त करने के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। सामान प्राप्त होने पर ही भुगतान करें।
4. किसी भी माध्यम से प्राप्त लिंक पर क्लिक कर अपनी निजी जानकारियाँ या बैंक खाते से जुड़ी हुई जानकारियाँ (जैसे-PIN, OTP, C.V.V, CARD NO, UPI PIN, PAN NO, ADHAR NO, MOBILE NO, E-Mail ID) दर्ज न करें।

5. Google Pay, Phone Pay, Paytm आदि के द्वारा रुपये के लेन देन की सुविधा में एक विशेष सुविधा दी गयी है जो कि "Request Money" के नाम से जानी जाती है जिसका कार्य रुपये उधार लेने के लिए किया जाता है, अतः PAY, CANCEL, LATER पर ध्यान देते हुए क्लिक करें।

6. किसी कॉल या SMS से प्राप्त सिम अपग्रेड (2G/3G/4G) करने की रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। और न ही अपने मोबाइल नम्बर से कोई SMS फारवर्ड करें।

7. यदि आपका सिम अचानक काम करना बन्द कर दे या नेटवर्क गायब हो जाये तो तत्काल कस्टमर केयर से सम्पर्क करें। साइबर ठग आपकी निजी जानकारी चुराकर SIM बन्द कराकर डुप्लीकेट SIM जारी करा सकते है।

8. किसी भी फर्जी PHONE CALL, SMS, Whatsapp, E-mail या किसी भी माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन फार्म / Google Form के लिंक को न तो क्लिक करें और न ही कोई जानकारी साझा करें।

9. Facebook, Whatsapp, Instagram आदि पर अनजान लोगो से न जुड़े और न ही अनजान लोगो से चैट / वीडियो कॉल पर बातचीत करें। साइबर ठग आपके साथ हुए चैट का स्क्रीनशॉट या वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकार्डिंग कर उसे वायरल करने की धमकी देकर रकम की मांग कर आपको मुसीबत में डाल सकते है।

10. एटीएम से निकासी / कार्ड स्वेप करके खरीदारी अपने सामने ही करें। तथा पिन को हाथ से छुपा कर डाले। किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता न ले।

11. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपना हॉट-स्पॉट डाटा शेयर न करें।

12. गूगल पर सर्च किये गये Customer Care NO का इस्तेमाल न करें। आपके साथ धोखा हो सकता है।

13. किसी भी व्यक्ति के कहने पर Remote Access App जैसे Quick Support, Any Desk, Team Viewer आदि Download न करे और न ही उसका PIN व ID शेयर करें।

साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तत्काल निम्नलिखित तरिकों के माध्यम से सूचना दें।

1. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930/112 पर कॉल करें।
2. [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें।
3. UPCOP मोबाइल ऐप से रजिस्टर ई-FIR तथा अपने जनपद थाना व साइबर क्राइम सेल से तत्काल सम्पर्क करें।

#### **बरामदकर्ता साइबर क्राइम सेल टीम-**

1. उ0नि0 सुनील मलिक,
2. मु0आ0 शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया,
3. आरक्षी शशीकान्त मणि त्रिपाठी,
4. आरक्षी अनूप यादव साइबर,

5. आरक्षी प्रभात कुशवाहा,
6. महिला आरक्षी वन्दना पाण्डेय,

## **02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

आज दिनांक 07.05.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर अन्नूपार केरमा प्राथमिक पाठशाला के पास से मु0अ0सं0 413/23 धारा 376एबी,363,366,342,120बी भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त राजकुमार राजभर पुत्र दुर्गविजय राजभर निवासी पनसब्दा थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ तथा थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर सोनिसा के पास से मु0अ0सं0 63/24 धारा 363,366,120बी भादवि में वांछित अभियुक्त रंजीत खरवार पुत्र मिथिलेश खरवार निवासी सोनिसा थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 07.05.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त किया जा रहा है तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया जा रहा है एवं अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में हिदायत दी जा रही है । साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।